

Schedule II

निविदा अनुसूची

क्र. संख्या	कार्य का विवरण	दर रूपये
1	ट्रेक्टर ट्राली (80 घन फीट) में खाद के गड्डे से गोबर की खाद भरकर पूरे खेत में समान रूप से फैलाना	रु. प्रति ट्राली
2	सामान्य फील्ड परीक्षण प्लाट में लेआउट एवं मेंड बनाने का कार्य	रु. प्रति 10 वर्ग मीटर
3	बुवाई कार्य एवं बीज को ढकना	रु. प्रति हैक्टेयर
4	नहर / पंप के द्वारा खेत/खड़ी फसल/लॉन/बगीचे में सिंचाई (कार्य समाप्ति के बाद पाइप यथास्थान रखने होंगे)	रु. प्रति हैक्टेयर
5	खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई कार्य (खुरपी, कुदाली, फावड़ा ठेकेदार का)	रु. प्रति हैक्टेयर
6	खरपतवार नियंत्रण (हस्त.): रबी एवं खरीफ फसलों के सभी प्रकार के अनुसंधान प्रक्षेत्रों व उपज प्रक्षेत्रों व संस्थान के सभी लॉन (3) के खरपतवारों को हाथ व मानव चालित हल्के उपकरणों (हो इत्यादि) द्वारा जड़ सहित निकालना, निकाले गए खरपतवारों को संस्थान द्वारा चिन्हित जगह पर डालना। (उपकरण ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराने होंगे)	रु. प्रति हैक्टेयर
7	कृषि रसायनों का छिड़काव करना (स्प्रे मशीन, रसायन व पानी संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा)	रु. प्रति हैक्टेयर
8	सामान्य फसल/परीक्षण प्लाट से फसल काटकर कटाई एवं एकत्र करके ट्राली में भरकर थ्रेसिंग स्थान तक पहुंचाना (ट्रेक्टर, ट्राली, ड्राइवर, डीजल इत्यादि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा)	रु. प्रति हैक्टेयर
9	कंबाइन से कटी फसलों के फसल अवशेष को चिन्हित स्थान पर एकत्र करना	रु. प्रति हैक्टेयर
10	थ्रेसिंग यार्ड पर एकत्र फसल की थ्रेसिंग करके व सफाई करके दानों को बोरों में भरकर वनज कराकर स्टोर में जमा कराना (मशीनरी संस्थान उपलब्ध करायेगा)	रु. प्रति हैक्टेयर
11	फसलों/सब्जियों की तुड़ाई एवं साफ कर वजन कराकर जमा करना	रु. प्रति हैक्टेयर
12	प्रक्षेत्र सड़क एवं अन्य सामान्य/परीक्षण क्षेत्र में फावड़ा द्वारा छिलाई करके वीडर द्वारा सफाई करना (फावड़ा ठेकेदार का)	रु. प्रति हैक्टेयर
13	पौधशाला हेतु मृदा तैयार करना एवं फसल लगाना	रु. प्रति हैक्टेयर
14	नर्सरी से पौध को मुख्य प्रक्षेत्र तक पहुंचाना एवं रोपाई करना	रु. प्रति हैक्टेयर
15	खाद एवं उर्वरक का छिड़काव कार्य	रु. प्रति हैक्टेयर
16	बगीचा में वृक्ष लगाने हेतु गड्ढा (45 से.मी.x 45 से.मी.x45 से.मी.) खुदाई	प्रति 100 गड्ढा
17	बगीचा में थाला बनाना	प्रति 100 गड्ढा
18	प्लास्टिक मल्टिंग बिछाने का कार्य	प्रति 100 गड्ढा
19	गमलों की भराई कार्य	प्रति 100 गमला
20	मृदा एवं पौधे की सेम्पलिंग करने का कार्य	प्रति 100 सैपल
21	हस्तचलित मशीन द्वारा लॉन काटना (मशीन संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई)	दरप्रति 1000

	जायेगी)	वर्ग मीटर
22	हैज की कटाई/छटाई करके काटे गये अवशेषों को ट्राली आने पर उसे ट्राली में भरकर संस्थान में चिन्हित स्थान पर डालना।	रु. प्रति कटाई 100 मीटर
23	लॉन लगाना (घास की रूट स्लिप बनाकर)	रु. प्रति 100 वर्ग मीटर
24	फेन्सिंग पोल को गाड़ना (पोल, बजरी, सीमेंट, गिट्टी, कंटीलें तार संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा)	रु. प्रति पोल
25	संस्थान के प्रशासनिक भवन (1), संयुक्त निदेशक कार्यालय का भवन (1), प्रयोगशालाएं (5), प्रशिक्षण भवन एवं पुस्तकालय (1), तथा इन भवनों एवं प्रयोगशालाओं के आसपास नियमित सफाई (भवनों के प्रत्येक कमरों की सफाई पौछा तथा मकड़ी के जालों की सफाई, सीलिंग पंखों, दरवाजों एवं खिड़कियों के कॉच, ग्रिल आदि की सफाई)। सफाई का सामान (झाड़ू, ब्रुश, पोछा, फिनाइल, कोलीन, विम, डस्टर, कुड़ेदान, डोमेक्स, हारपिक, टैक्टर-ट्राली) कार्यालय से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिये ठेकेदार संस्थान द्वारा बताये गये स्थान पर अपने कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा, जिससे की सफाई में कभी भी व्यवधान उत्पन्न न हो। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी दिन कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। (रविवार तथा राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर)। कचड़े को संस्थान में चिन्हित स्थान पर फेंकना। संस्थान द्वारा सफाई के सामान को सफाई कर्मियों द्वारा जानबूझ कर क्षति या गायब किया जाता है तो क्षति की प्रतिपूर्ति संबंधित ठेकेदार को करनी होगी। भुगतान से संबंधित बीजक भुगतान हेतु ठेकेदार प्रति माह प्रत्येक विभाग एवं अनुभाग से मासिक सफाई व्यवस्थित रही का प्रमाण पत्र संलग्न करेगा। ठेकेदार प्रतिदिन प्रातः शिकायत पंजिका के अनुसार सफाई से संबंधित कार्यों का निस्तारण करायेगा।	रु. प्रति माह
26	संस्थान प्रक्षेत्र में नियमित कार्य (26 दिन प्रति माह) करने हेतु अकुशल श्रमिक (रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाश छोड़कर)। आव यक्तानुसार अकुशल श्रमिकों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है। पारिश्रमिक केन्द्र सरकार के न्यूनतम (Minimum Wages as per Latest Govt. of India Rates) दर से कम नहीं होना चाहिये।	रु. प्रति माह प्रति श्रमिक